छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल

- छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का गठन नवंबर, 2000 को किया गया है। मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों एवं स्थापनाओं तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों से अभिदाय प्राप्त किया जाता है। प्राप्त अभिदाय एवं शासन द्वारा दी गई सहायता अनुदान राशि से संगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनाएं संचालित की जाती है।

- छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के तहत राज्य के समस्त ऐसी स्थापनाएं जो व्यवसाय, व्यापार अथवा उससे संबंधित कोई सहयोगी कार्य करते हों एवं विगत 12 माह में किसी भी कार्य दिवस में 9 से अधिक कर्मकार नियुक्त हों उन पर यह अधिनियम प्रभावशील होता है।

- श्रम कल्याण मंडल द्वारा ऐसे संस्थानों से 60/– रूपये (प्रति छमाही) अभिदाय प्रति श्रमिक संकलित किया जाता है। इसमें 45/– रूपये नियोक्ता का एवं 15/– रूपये कर्मकार का अभिदाय होता है।

- **पंजीयन :–** छ.ग. श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत अभिदायदाता संस्थानों द्वारा श्रमिकों की जानकारी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दी जाती है, जो कि मंडल के अंतर्गत पंजीकृत हो जाते हैं।

- छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल द्वारा संगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, मृत्यु एवं दिव्यांगता, कौशल उन्नयन आदि के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।